

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 183/2026

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में

इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक-09/STET-17-02/2026 - 1239, दिनांक 11.08.2026 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

- संरचना:
 - क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
 - ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
 - ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. **परीक्षा के विषय :** माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्न है:-

क्र० सं०	विषय/विषय समूह	पेपर-I (माध्यमिक)	
		शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता	अथवा
1.	सामान्य विषय:-	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
	1. हिन्दी	101	
	2. उर्दू	102	
	3. बंगला	103	
	4. मैथिली	104	
	5. संस्कृत	105	
	6. अरबी	106	
	7. फारसी	107	
	8. भोजपुरी	108	
	9. अंग्रेजी	109	
	10. गणित	110	
	11. विज्ञान	111	
	12. सामाजिक विज्ञान	112	
2.	शारीरिक शिक्षा	113	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्प्राप्ति। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्प्राप्ति तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथ्लेटिक्स में सहभागिता। अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)– 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में राष्ट्रीय अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो। अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद प्रकाशिकी आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।
	3. संगीत विषय	114	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक अथवा उच्च उक्त समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	4. ललित कला विषय	115	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उत्प्राप्ति अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	5. नृत्य विषय	116	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य विषय में स्नातक उत्प्राप्ति या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	विशेष विद्यालय अध्यापक (क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उत्प्राप्ति एवं (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच सी०आर०आर० नं० धारित हो या बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच सी०आर०आर० नं० धारित हो। एवं (ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्ययन प्रशिक्षण, परन्तु- भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरान्त उक्त प्रशिक्षणचर्चा के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्चा प्राप्त होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्चा को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) संवैधानिक अवकाश मान्य होगा। नोट:- अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय (विषय कोड) का चयन कर सकते हैं।		

- (ii) **विषय समूह :-**
(क) **गणित :-** स्नातक स्तर पर गणित के साथ मौक्तिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर साइंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी०सी०ए० की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।
(ख) **विज्ञान :-** स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा Biotechnology/ Microbiology को भी समाहित किया जाता है।
(ग) **सामाजिक विज्ञान :-** स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।
(घ) **भाषा से संबंधित विषय :-** माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुभाषिक (संबन्धीय) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।
स्पष्टीकरण :-
(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
(ii) पेपर-I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी।
(iii) शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर-I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट-I की कड़िका-2 में किया गया है।

परिशिष्ट-2 पेपर-II (उच्च माध्यमिक)	
क्र० सं०	विषय/विषय समूह
सामान्य विषय:-	कोड
1. हिन्दी	201
2. उर्दू	202
3. अंग्रेजी	203
4. संस्कृत	204
5. बांग्ला	205
6. मैथिली	206
7. मगही	207
8. अरबी	208
9. फारसी	209
10. भोजपुरी	210
11. पाली	211
12. प्राकृत	212
13. गणित	213
14. भौतिक विज्ञान	214
15. रसायन शास्त्र	215
16. जन्तु विज्ञान	216
17. इतिहास	217
18. भूगोल	218
19. राजनीति शास्त्र	219
20. समाज शास्त्र	220
21. अर्थशास्त्र	221
22. दर्शनशास्त्र	222
23. मनोविज्ञान	223
24. गृहविज्ञान	224
25. वनस्पति विज्ञान	229

1. **वाणिज्य** 225
वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (उद्योगिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेस स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे।

तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उत्प्राप्ति। डी०ओ०ई०ए०सी०पी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति।

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आर०सी०पी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आईटी०) या बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आईटी०) अथवा समकक्ष उत्प्राप्ति या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आर०सी०पी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीट में बी०ई० या बी०टी०के० की उत्प्राप्ति तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति।

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति।

अथवा डी०ओ०ई०ए०सी०पी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति।

अथवा सूचना एवं संचार प्रायोगिकी मंत्रालय से डी० ओ० ई० सी० सी० से स्तर "सी" किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उत्प्राप्ति।

अथवा एम० सी० ए० का तीन वर्षों कोर्स (6 सेमेस्टर)।
नोट:-कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी० एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता योग्यता धारित करना आवश्यक होगा।
नोट:- मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति अथवा उसके समकक्ष अर्हता।

मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

विषय समूह:-	
Subject	Subjects at Post Graduate level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.com in Applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/ Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/ Micro Biology/Biotechnology/Molecular Biology/ Plant Physiology.
Maths	Mathematics/Applied Mathematics

स्पष्टीकरण:-
(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- (ii) राज्य के विद्यालयों में Multi Media & Web Technology विषय की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए पेपर-II के तहत Multi Media & Web Technology की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।
(iii) वाणिज्य संकाय के लिए पेपर-II के अन्तर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी।
3. पाठ्यक्रम :- पेपर-I (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा **पेपर-II** (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।
4. प्रश्नपत्र पैटर्न :- माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निरदिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :-

निर्दिष्ट विषय वस्तु	100
शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता	50
कुल अंक	150

5. अर्हता :-
(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षाओं हो सकते हैं।
(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि० सं-916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि० सं-934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि० सं-956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि० सं-957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि० सं-964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि० सं-965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि० सं-969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि० सं-1010 दिनांक 08.06.2023 एवं (ix) अधि० सं-1154 दिनांक 21.06.2023 एवं (x) अधि० सं-1215 दिनांक 27.06.2023 के अनुसार पेपर-II (माध्यमिक) एवं पेपर-II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अनुरूप होगी।
(घ) **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी, जो बिहार के मूल निवासी होंगे, को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।**
6. उच्च सीमा एवं छूट:- विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.08.2026 के अनुसार उच्च सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान निम्नवत् हैं :-
(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 01.08.2026 को 21 (इक्कीस) वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।
(ख) कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

क. अर्हता :
(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्य/एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्य/एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्राधान्यों के तहत निर्गमित विभिन्न विभागों अधिसूचनाओं यथा (i) अधि 30-916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि 30-934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि 30-956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि 30-957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि 30-964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि 30-965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि 30-969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि 30-1010 दिनांक 08.06.2023 एवं (ix) अधि 30-1154 दिनांक 21.06.2023 एवं (x) अधि 30-1215 दिनांक 27.06.2023 के अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) एवं पेपर-II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अर्हता परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अनुरूप होंगी।
(घ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी, जो बिहार के मूल निवासी होंगे, को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. उम्र सीमा एवं छूट:- विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.08.2026 के अनुसार उम्र सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान निम्नवत् है :-
(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 01.08.2026 को 21 (इक्कीस) वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।
(ख) कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

क्र० सं०	कोटि	दिनांक 01.08.2026 को अधिकतम आयु सीमा
1.	अनारक्षित (पुरुष)	37 वर्ष
2.	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
3.	पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	40 वर्ष
4.	अति पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	40 वर्ष
5.	अनु०जाति (पुरुष/महिला)	42 वर्ष
6.	अनु०जनजाति (पुरुष/महिला)	42 वर्ष

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्रकाशनानुसार अध्यापिका अधिकांशतः उच्च सीमा में 10 वर्ष की छुट्टी हो जाएगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अध्यापिका को अधिकतम उच्च सीमा में 03 वर्ष तथा अध्यापिकाओं को बिनाई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्त कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023-2023 में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को अधिकतम उच्च सीमा में छुट देय नहीं होगी।

7. उत्तीर्णांक :- विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.08.2026 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 हेतु निर्धारित कोटिवार उत्तीर्णांक निम्नवत् होगा

क्र०सं०	कोटि	उत्तीर्णांक
1.	सामान्य	50% अंक
2.	पिछड़ा वर्ग	45.5% अंक
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	42.5% अंक
4.	अनु०जाति/अनु०जनजाति	40% अंक
5.	दिव्यांग	40% अंक
6.	महिला	40% अंक

परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि	
क्र० सं०	श्रेणी
पेपर-I अथवा पेपर-II (एक पेपर के लिए)	
पेपर-I एवं पेपर-II (दोनों पेपर के लिए)	
I.	सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
II.	अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति/ दिव्यांग
960 / -	रु० 1,440 / -
760 / -	रु० 1,140 / -

- 9. कड़िका 6, 7 एवं 8 में दी जाने वाली छूट यथा- अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट** केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की छूट देय नहीं है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की छूट संबंधी गणना सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी एवं सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा।
10. प्रमाण-पत्र
(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 में पेपर-I एवं पेपर-II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
(ख) विभागीय आदेश ज्ञापक-11/दि-34/2019-893 दिनांक 22.06.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन-पर्यन्त (Life time) होगी।
11. नॉर्मलाइजेशन (Normalization) :
(क) Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों (Sitting)/तिथियों (Dates) में किया जाता है। ऐसे परीक्षाओं में सामान्यतः अलग-अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग-अलग कोडिंगाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व Normalization की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी Normalization विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा।
(ख) Normalization की प्रक्रिया के उपरान्त अभ्यर्थी का जो भी Normalized Score होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक (Normalised Score) के आधार पर कड़िका संख्या-7 में दिए गए उत्तीर्णक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि Raw Score (Raw Score=सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक) के आधार पर।
(ग) उदाहरणस्वरूप; किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में Raw Score 76 है तथा Normalization प्रक्रिया के उपरान्त उसका Normalized Score 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णक (150 का 50% = 75) प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा।
(घ) यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्राधान्य नहीं है, किन्तु Normalization की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में Normalization Score में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है।
12. प्रवेश परीक्षा की अवधि : Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 की अवधि 150 मिनट (2 घंटा 30 मी) होगी।
13. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि : उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक **17.08.2026 के अग्रप्राप्तन से दिनांक 31.08.2026 तक** स्वीकार किये जाएंगे।
14. परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि : जहाँ को समिति की वेबसाइट <https://stetregistration.cbtr.co.in> पर अक्षर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व आवेदनक सुनिश्चित हो जा कि उनके पास उनका अपना कार्डर ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल नम्बर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे।
15. परीक्षा आवेदन-पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत् है :-
(i) वेबसाइट <https://stetregistration.cbtr.co.in> पर आवेदन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण होगी:-
(A) पंजीकरण, (B) फॉर्म भरना (C) भुगतान करना

- (ii) **पंजीकरण-** प्रथम बार में Registration Page खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे एवं Generate OTP बटन पर क्लिक करेंगे। OTP डाल कर Registration की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आवेदक के पंजीकृत मोबाईल पर SMS माध्यम से User ID & Password उपलब्ध कराया जाएगा।
(iii) **फॉर्म भरना-** आवेदक अपने User ID एवं Password के सहयोग से वेबसाइट के मुख्य पेज पर Login कर सकेंगे। Login करने पर आवेदन-पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक/अन्य विवरण भरेंगे।
(iv) **अपलोड रीतीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर :** अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 kb से 200 kb तक एवं आयाम 3.5cm × 4.5cm होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 50kb से 200kb तक होना चाहिए।
(v) **रीतीन फोटोग्राफ हाल (Recent)** का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का Background सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
(vi) कोटि खिंचवाने के समय सार पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं है।
(vii) **परीक्षा शुल्क का भुगतान करना:-** आवेदन पत्र भरने के उपरान्त Select Online Payment को Click करेंगे। तत्पश्चात् Select Payment Gateway में से किसी एक Payment Gateway को Select कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान Debit Card/Credit Card/Net Banking/ UPI के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा।
16. प्रमाण पत्रों को अपलोड करना: अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्राप्तिगत प्रती अपलोड करेंगे :-
a) मैट्रिक (10th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
b) इंटर (12th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
c) स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
d) स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
e) बी०ए० का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
f) अन्य शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)।
g) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवसीय प्रमाण पत्र।
h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
i) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र।
(नोट : आरक्षण का दावा करनेवाली विवाहित महिलाओं की जाति/अवतार क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रमाण प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए।)
j) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य दिव्यांग प्रमाण पत्र।
k) भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए